

कार्यालय-नगर निगम रुड़की।

सचिव
भारत

एक रुपय खर्चता की ओर

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, रुड़की क्षेत्रान्तर्गत दुधार पशुओं के व्यावसायिक डेयरी परिसरों के कारण होने वाली विभिन्न नागरिक समस्याओं के समाधान तथा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत उपविधि का प्रावधान पर्वतन प्रस्तावित है :-

पशुओं को आगरा छोड़ दिये जाने के कारण सड़क परिवहन में अवरोध/दुर्घटनाओं/पशु केद्वारा व पशु जनित हिसा की समस्या के निवारण, आगरा छोड़ दिये गये अनुत्पादक एवं उदरपाद/आकामक पशुओं में परस्पर संघर्ष अथवा किविध प्रकारों में आमजनता पर आक्रमण से बचाव एवं जनसुरक्षा, ऐसे गोवंशीय पशुओं की तत्कालीन/गोहत्या/चोरी हो जाने के कारण शांति एवं कानून व्यवस्था को सम्भावित चुनौती, डेयरी परिसरों के कारण गोबर/गोमूत्र के अनुचित प्रबन्धन के कारण नालियों में अवरोध/गन्दगी/दुर्गन्ध/मखियाएँ तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु।

अतः डेयरी परिसरों के संचालन एवं अनुज्ञा उपविधि ड्राफ्ट पर आपत्ति एवं सुझाव हेतु 30 दिवस के भीतर आमन्त्रित किये जाते हैं। यदि 30 दिवस के भीतर किसी प्रकार की आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि उक्त उपविधि को स्वीकृत मानते हुए गजट प्रकाशन की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

क. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्राविधान :-

1) अधिनियम की धारा-541 एवं धारा-453 (अध्याय XVI - Regulation of Markets, Slaughtner-houses, certain trades and acts etc.) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक डेयरी परिसरों के संचालन एवं अनुज्ञा के क्रम में उपविधि का प्रावधान प्रस्तावित है। 2) धारा-438 एवं धारा-440 के अनुसार नगर निगम द्वारा अनुज्ञा प्रदत्त डेयरी स्थापितियों द्वारा ही व्यावसायिक डेयरी परिसरों का संचालन किया जाना अपेक्षित है। 3) धारा-451(6) के अनुसार डेयरी स्वामी द्वारा कानूनी प्राविधानों (अधिनियम/नियम/उपनियम) के अनुसार विधित्त प्रविधियों/शर्तों का उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर व्यावसायिक डेयरी परिसरों के संचालन हेतु निर्मित अनुज्ञा को निरस्त किये जाने का प्राविधान है। 4) धारा-467 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्राविधानों (अधिनियम/नियम/उपनियम/उपविधि/प्रविध/शर्त/नोटिस) के उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर दण्डित किये जाने का प्राविधान है।

ख. उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 एवं संशोधन अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत प्राविधान :-

1) अधिनियम की धारा-7 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक गोवंश का पंजीकरण अनिवार्य है तथा धारा-8 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में गोवंशीय पशुओं को आगरा छोड़ने का प्रतिषेध है। इन दोनों ही प्राविधानों के उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर अधिनियम की धारा-11(3) एवं धारा-11(क) के अनुसार नगर आयुक्त द्वारा अर्धदण्ड आरोपित कर शमन (compounding) की कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।

ग. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2021 के बिन्दु संख्या-07 में नगर निकाय द्वारा डेयरी/गौशालाओं को पंजीकृत करने का प्रावधान है।

नगर निगम, रुड़की क्षेत्रान्तर्गत दुधार पशुओं के व्यावसायिक डेयरी प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु अनुज्ञा दिये जाने के क्रम में प्रस्तावित अंतिम उपविधि

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा व्यावसायिक डेयरी परिसरों के संचालन एवं अनुज्ञा के क्रम में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1969 की धारा-540 एवं धारा-453 के अन्तर्गत निम्नानुसार उपविधि का प्रावधान प्रस्तावित है :-

1. नाम-यह उपविधि "नगर निगम, रुड़की डेयरी/डेयरी पशु उपविधि, 2026" कहलाएगी।

2. परिभाषा - (क) "डेयरी पशु" से तात्पर्य गाय, बैल, भैंस, भैंसा एवं उनकी संतति से है। (ख) "दुग्धशाला" से तात्पर्य उस परिसर से है जहाँ दुग्धालक पशुओं को रखा जाता है। (ग) "पशुविक्रिस्ता अधिकारी" से तात्पर्य नगर निगम में शासन द्वारा प्रतिनियुक्त पशुविक्रिस्ता अधिकारी से है अथवा पशुविक्रिस्ता विज्ञान में स्नातक अथवा इससे उच्च उपाधिधारक जो संघ अथवा राज्य पशुविक्रिस्ता परिषद में पंजीकृत हो से है। (घ) "व्यावसायिक डेयरी परिसर" से तात्पर्य ऐसे परिसर से है, जहाँ 5 अथवा 5 से अधिक वयस्क डेयरी पशु को रखा गया हो, से है। (ङ) "गौशाला" से तात्पर्य पशु कल्याण हेतु राज्य पशुकल्याण बोर्ड में पंजीकृत संस्था से है, जो कि अलमकारी गौवंश की देख-रेख के लिए स्थापित की गई हो। (च) "अलमकारी पशु" से तात्पर्य अनुत्पादक, वृद्ध, बीमार एवं घायल निराश्रित गोवंश तथा पुलिस-प्रशासन/नगर निकाय द्वारा गोतस्कर अथवा पशु क्रूरता के प्रकरणों में जन्म किये गये केस प्रापटी गोवंश से है।

3. कोई भी व्यक्ति नगर निगम रुड़की की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के परिसर का उपयोग उक्त प्रयोजन (डेयरी) के लिये जारी की गयी अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा व न ही किसी को भी उपयोग करने की अनुमति देगा।

4- अनुज्ञा हेतु प्रतिबन्ध (क) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डेयरी परिसर संचालित किये जाने हेतु अथवा डेयरी पशु पालने हेतु नगर निगम द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। (ख) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डेयरी परिसर के संचालन हेतु अथवा डेयरी पशु पालने हेतु अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदक को नगर निगम के पक्ष में नगर निगम बोर्ड द्वारा विधित्त आवेदन शुल्क के साथ, प्रारूप-1 के अनुसार विधित्त आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (non refundable) होगा। (ग) व्यावसायिक डेयरी परिसर के संचालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से नियमानुसार सौटैओ (Consent to Operate) प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ सलन करना आवश्यक होगा। (घ) नगर आयुक्त, नगर निगम रुड़की द्वारा, अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों/दल द्वारा व्यावसायिक डेयरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा, जिसके द्वारा प्रारूप-2 पर स्थलीय निरीक्षण उपरान्त आख्या प्रस्तुत की जायेगी। (ङ) श्रीमान नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी निरीक्षण दल की प्रारूप-2 पर प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या के आलोक में सम्बन्धित व्यावसायिक डेयरी परिसर को अनुज्ञा प्रदत्त किये जाने के क्रम में निर्णय लेगे। अनुज्ञा दिये जाने हेतु उपयुक्तता की स्थिति में, व्यावसायिक डेयरी परिसर में वयस्क तथा अवयस्क पशुओं की अधिकतम अनुमत्त संख्या उल्लिखित कलें हुए प्रारूप-3 के अनुसार अनुज्ञापत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के व्यावसायिक डेयरी परिसर अनुज्ञा के प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन हेतु बाध्य होगा। (घ) अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेयरी परिसर द्वारा स्वयं के डेयरी परिसर में मुख्य दीवार पर अनुज्ञापत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञाधारी परिसर अनुज्ञा के प्रतिबन्धों/शर्तों का अर्धदण्ड आरोपित किया जाएगा। (न) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत समय-समय पर व्यावसायिक डेयरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जा सकेगा। अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेयरी परिसर समय प्रदर्शित न पाये जाने पर रू0 500/- का अर्धदण्ड आरोपित किया जाएगा। (न) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत समय-समय पर व्यावसायिक डेयरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जा सकेगा तथा अधिनियम की धारा-467 एवं धारा-451(3) के अनुसार अर्धदण्ड का आरोपण किया जायेगा द्वारा अनुज्ञा के प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र का तात्कालिक निलम्बन अथवा पूर्णतः निरस्तीकरण किया जा सकेगा तथा अधिनियम की धारा-467 एवं धारा-451(3) के अनुसार अर्धदण्ड का आरोपण किया जायेगा जिसकी राशि 5000/- प्रति अपराध तक हो सकेगी। (झ) नगर निगम रुड़की द्वारा निर्मित अनुज्ञापत्र अनुज्ञा जारी किये जाने की तिथि से कुल 1(एक) वर्ष हेतु मान्य होगा। (ञ) अनुज्ञा दिये जाने हेतु अनुपयुक्तता की स्थिति में आवेदन के एक माह के भीतर सम्बन्धित प्रकरण के अस्वीकृति की सूचना निर्गत कर दी जायेगी। (ट) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अनुज्ञा के बिना व्यावसायिक डेयरी परिसर संचालित किये जाने की दशा में नगर निगम अधिनियम की धारा-467 एवं धारा-451(3) के अनुसार दण्ड का आरोपण किया जायेगा, जो रू0 25,000/- तक हो सकेगा। (ठ) डेयरी पालन के लिए समय-समय पर स्वस्थ न्यायालयों के पारित आदेशों/बोर्ड/प्राधिकरण/आयोग/विभाग द्वारा प्राप्त सभी जरूरी अनुमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी तथा इस आशय का शपथ-पत्र भी आवेदन के साथ सलन करना अनिवार्य होगा। यदि अनुज्ञा जारी करने के बाद भी किसी भी स्वस्थ न्यायालय/बोर्ड/प्राधिकरण/आयोग/विभाग से अनुज्ञाधारी की डेयरी उनके मानकों के अनुरूप नहीं पायी जाती व कोई कार्यवाही की जाती है तो निगम द्वारा जारी अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

5. **अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण-**
अनुज्ञात्रि के नवीनीकरण के लिये अनुज्ञात्रि धारक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपना आवेदन पिछली अनुज्ञात्रि के समाप्त होने के 15 दिन पहले करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञात्रि समाप्ति के उपरान्त संचालक पर नियम 4(द) के तहत कार्यवाही की जाएगी।
6. क-इन उपविधि के तहत अनुज्ञात्रि के लिये वार्षिक शुल्क प्रथम बार ₹ 500/- प्रतिपशु व नवीनीकरण की स्थिति में ₹ 300/- प्रतिपशु निर्धारित है। ख- उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त गोसदन/गौशाला के लिये कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा।
7. उक्त उपविधि के तहत जारी की गयी हर अनुज्ञात्रि निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी अर्थात्-
(क) प्रत्येक दुग्धशाला के फर्श को पूरी तरह से सूखा रखने की व्यवस्था पशु स्वामी द्वारा की जानी होगी तथा वायु के आवागमन एवं प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश की उचित व्यवस्था हो।
(ख) पशुओं को रखने के स्थान पर पशुओं को विपरीत प्राकृतिक दशाओं में जैसे-तेज धूप, गर्मी, सर्दी व बरसात आदि से बचाव हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
(ग) डेयरी स्वामी को अपनी डेयरी से उत्पन्न गोबर के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी, जिसका प्रमाण भी अनुज्ञात्रि अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा व गोबर को सीवर अथवा खुले नाले में नहीं डाला जायेगा, कम्पोस्ट बनाना अथवा किसी कम्पोस्ट/गोबर उत्पाद बनाने वाले उपक्रम को दिया जाना अथवा बायोगैस संयंत्र के द्वारा निस्तारण हो मान्य होगा। गोबर के निस्तारण के सम्बन्ध में समय-समय पर नगर निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त आशय का शपथ-पत्र भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
(घ) अनुज्ञात्रिधारी अनुज्ञात्रि अधिकारी को किसी भी संक्रामक रोग के बारे में तुरन्त सूचित करेगा एवं अपने संघ/राज्य पशुविकित्ता परिषद से पंजीकृत पशुविकित्ता से समुचित उपचार हेतु बाध्य होगा अथवा संक्रमित पशुओं को बाकी पशुओं से अलग रखेगा।
8. दुग्धशाला के सभी पशुओं को मादकोपि लगावाकर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। सभी पशुओं की संतति का रिकार्ड समस्त डेयरी स्वामियों द्वारा रखना अनिवार्य होगा।
9. किसी भी डेयरी पशु स्वामी द्वारा अपने पशुओं को किसी भी परिस्थिति में सड़कों पर अथवा अपने परिसर के बाहर खुला नहीं छोड़ा जायेगा। पशु के बाहर खुला छोड़े पाये जाने पर ₹ 2000/- प्रतिपशु प्रतिदिन/उत्तराखण्ड गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
10. **लेखाजोखा (रिकार्ड) रखना-** व्यावसायिक डेयरी प्रतिष्ठान को अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के बाद, प्रतिष्ठान द्वारा निम्न प्रपत्रों युक्त पंजीक में अभिलेखों का लेखाजोखा रखा जायेगा :-
(क) निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप रखे गये सभी पशुओं का विवरण।
(ख) पशुओं का पशुविकित्ता स्वास्थ्य का विवरण।
(ग) पशुओं के टीकाकरण/टैंक्साइड का विवरण।
(घ) कुमिसेधी दवापन का विवरण।
(ङ) पशुओं का गमधान/नस्त का विवरण।
(च) पशुओं के ब्रय-विक्रय का विवरण।
(छ) पशुओं की चारा की उपलब्धता।
(ज) कोई भी डेयरी स्वामी अनुज्ञात्रि अधिकारी या किसी भी अधिकारी को किसी भी समय पर, डेयरी का निरीक्षण करने के लिये आपत्ति नहीं कर सकता।
11. उपरोक्त उपविधियों के उल्लंघन पर रद्द की गयी अनुज्ञात्रि के निरस्तीकरण को पुनर्जीवित करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, रूडकी के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है जिस पर निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम, रूडकी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अनुज्ञात्रि अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। दो बार निरस्त की गयी किसी अनुज्ञात्रि को किसी भी दशा में पुनर्जीवित नहीं कराया जा सकेगा। उक्त प्रकार के अनुरोध किये जाने हेतु अधिकतम समय सीमा प्रथम निरस्तीकरण के एक माह तक होगी।
12. यदि कोई पशु बेचा जाता है या मरता है या निस्तारित किया जाता है तो इसकी जानकारी पशुपालक द्वारा नगर निगम रूडकी के वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी/पशु विकित्ता अधिकारी कार्यालय में 07 दिनों के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि पशुपालक उक्तवत् अवधि में जानकारी नहीं देता तो पशु के कारण लगने वाले अर्थदण्ड का वहन पंजीकृत पशुस्वामी को ही करना होगा।

संलग्नक - प्रारूप।

01/11/2024
 (राकेशचन्द्र तिवारी)
 नगर आयुक्त,
 नगर निगम रूडकी।

।। कार्यालय-नगर निगम रूडकी, जिला-हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।।

पत्रांक: 630 / स्वा0अनु0 / न0नि0रू0 / 2025-26

दिनांक: 30/01/2026

प्रतिनिधि-निर्मांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मा0 महापौर महोदय, नगर निगम रूडकी।
2. सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम रूडकी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र संवाददाता दैनिक जागरण व दैनिक/साप्ताहिक संवाददाता परम जागरिक की निम्न स्पेस एवं नियमानुसार दरों पर प्रकाशन हेतु तथा प्रकाशन उपरान्त कम से कम 10 प्रतियाँ सहित दो प्रतियों में भुगतान हेतु।
4. वेबसाइट संचालक को इस निर्देश के साथ कि उक्त सार्वजनिक सूचना निगम की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

नगर आयुक्त
नगर निगम रूडकी।

01/2
R

प्रारूप-01

डेयरी परिसर के संचालन हेतु अनुज्ञा के क्रम में आवेदन हेतु प्रपत्र परिसर के संचालन हेतु अनुज्ञा के क्रम में आवेदन हेतु प्रपत्र।

सेवा में,

आवेदक की फोटो

नगर आयुक्त
नगर निगम रुडकी।

महोदय,

निवेदन यह कि, मैं (नाम).....पुत्र.....
निवासी.....वार्ड सं०.....जिला.....स्वयं के

स्वामित्वाधीन अधोवर्णित डेयरी परिसर हेतु अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन करता हूँ (मान्य पहचान पत्र)

क) डेयरी परिसर में रखे गये पशुओं का विवरण :

प्रजाति / नस्ल	लिंग	रंग	पूँछ	आयु	ब्यांत	सींग	टैग नं०

ख) डेयरी परिसर में रखे गये पशुओं हेतु स्थान :

I. छत से ढका क्षेत्रफल (Covered Area)

II. खुल क्षेत्रफल (Open Area)

ग) आवासीय व्यवस्था :

I. फर्श का प्रकार :

II. प्राकृतिक प्रकाश एवं हवादार वायुप्रवाह (Natural Light and Ventilation)

III. रोगी पशुओं को अलग से रखे जाने की व्यवस्था

घ) गोबर, मूत्र के निस्तारण हेतु व्यवस्था :

ड) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त करने की तिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न सहित)–

मैं, नगर निगम रुडकी डेयरी/डेयरी पशु उपविधि 2026 के समस्त प्राविधानों के अनुपालन हेतु कृत संकल्प हूँ। मेरे द्वारा आवेदन शुल्क रु० चालान सं०.....नगर निगम रुडकी कोष में जमा करा दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि, अधोहस्ताक्षरी को डेयरी परिसर के संचालन हेतु अनुज्ञापत्र निर्गत करने की कृपा करें।

नगर निगम रुडकी कार्यालय में प्राप्ति तिथि मोहर :

आवेदक के हस्ताक्षर:
आवेदन की तिथि:
दूरभाष संख्या